②

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
//आदेश//

क्रमांक 371/242/2019/32–3–वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 5 के एतद्द्वारा उपनियम 6(क) के परिपालन में राज्य आर्द्रभूमि (Wetland) प्राधिकरण के अंतर्गत तकनीकी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे :–

भोपाल, दिनांक 26/08/2019

1. उपसचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन – सदस्य
2. उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य
3. संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, संचालनालय – सदस्य
4. संचालक तकनीकी, म. प्र. प्रदूषण निवारण मंडल मुख्यालय भोपाल – सदस्य
5. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय – सदस्य
6. डॉ. विपिन व्यास, असोसियेट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, एक्वाकल्चर एवं जू–लॉजी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल – सदस्य
7. प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, भोपाल – समन्वयक
8. अन्य सदस्यः– आवश्यकतानुसार प्रदेश स्तर/जिला स्तर से/संबंधित विभागों से सदस्य, सदस्य सचिव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के अनुमोदन से आमंत्रित किए जा सकेंगे।

समिति के कार्य/शर्ते :–

(1) संक्षिप्त दस्तावेजों, वेटलैण्ड प्रबंधन योजनाओं का परीक्षण करने तथा वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह दिया जाना एवं प्राधिकरण से संबंधित अन्य मुद्दे।

(2) राज्य शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त वेटलैण्ड्स के संक्षिप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण करना तथा वेटलैण्ड्स के F. T. L. व उससे 50 मी., Zone of Influence चिन्हांकन व Pre existing Rights & Privileges के संबंध में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

(3) अधिसूचित वेटलैण्ड्स में वेटलैण्ड नियम–2017 के नियम–4 में उल्लेखित प्रतिबंधित एवं नियामक (रेगुलेटरी) गतिविधियों के परिपालन हेतु नीति निर्धारण, प्रक्रिया निर्धारण, तकनीकी एवं वैज्ञानिक पहलुओं पर वेटलैण्ड प्राधिकरण को अभिमत/अनुशंसा प्रस्तुत करना।

(4) अन्य मुद्दे जो सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर संदर्भित किए जाएं।

(5) समिति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Supriya

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय

7

पृ. क्र. 372 / 242 / 2019 / 32–3

प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 26/ 08 / 2019

1. विशेष सहायक,माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं अध्यक्ष राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. समिति के सदस्य।
5. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल रोड भोपाल की ओर आगामी राजपत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग

(1)

म.प्र. शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 26/08/2019

क्रमांक 373/242/2019/32–3 वेटलैण्ड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के नियम 5 के एतद्द्वारा उपनियम 6(ख) के परिपालन में राज्य आर्द्रभूमि (Wetland) प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नानुसार शिकायत समिति का गठन किया जाता है :–

1. उपसचिव/प्रतिनिधि, राजस्व विभाग, म. प्र. शासन – सदस्य
2. उपसचिव/प्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – सदस्य
3. अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय – सदस्य
4. प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, भोपाल – समन्वयक

समिति के कार्य/शर्तें :–

1. जनता द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई तथा अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराना।
2. प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य में स्थित वेटलैण्ड्स से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत का निराकरण करने हेतु अभिमत/अनुशंसा प्राधिकरण को प्रेषित करना।
3. समिति अपने कार्यो के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
4. अन्य मुद्दे जो सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर संदर्भित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
आदेशानुसार

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय

पृ. क्र. 374/242/2019/32–3 भोपाल, दिनांक 26/08/2019

प्रतिलिपि :

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं अध्यक्ष राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, म. प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सभी संबंधित विभाग (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग)
4. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
5. समिति के सदस्य।
6. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय मैदा मिल रोड भोपाल की ओर आगामी राजपत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।
7. उप संचालक, जनसम्पर्क प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
8. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली, इंदिरा पर्यावरण भवन, पृथ्वी भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण।

अवर सचिव
म.प्र. शासन
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय